


से ही वादीगण की जमाबंदी में एन्ट्री है। अतः वैसे भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण
आदग्रस्त आराजी के खातेदार हो गए है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी ग्राम
रामपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा भू0अभि क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में
मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075-2078 हाल ख0न0 141 रकबा 1.47है0, ख0न0 168 रकबा 0.
32है0, ख0न0 181 रकबा 1.49है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.28है0 पर से खाता सरकार
हटाया जाकर तथा वादीगण को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक उक्तानुसार राजस्व घोषित
किया जाता है। रेकार्ड के अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी इटावा